

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ

दिनांक

जुलाई, 2025

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के पत्र संख्या-27/2025/1316/छिहत्तर-1-2025/1739613 दिनांक 21.05.2025 (प्रति संलग्न) एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-814/पीएसएमएस/2024 दिनांक 06.09.2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है तथा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है तथा कतिपय योजनाएं निर्माणाधीन एवं अपने अंतिम चरण में हैं। पूर्व निर्मित तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 प्रख्यापित कर निर्गत की गयी है। जिसमें पंचायती राज विभाग की भूमिका एवं दायित्व निम्नानुसार है:-

1. ग्रामीण पेयजल यूजर चार्ज के निर्धारण हेतु निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के साथ परामर्श कर उक्त आशय का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा।
2. यूजर चार्ज की धनराशि भविष्य में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन कार्य पर व्यय होना संभावित है। अतः पंचायत के OSR खाते में हर पंचायत से प्राप्त यूजर चार्ज की धनराशि जमा की जाए परन्तु यूजर चार्ज के लिए पृथक से Ledger का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। जिसका वार्षिक रूप से मिलान भी किया जाए।
3. पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को समय-समय पर तकनीकी सहायता, दिशा-निर्देश और सहयोग प्रदान करने हेतु निदेशालय स्तर पर एक विस्तृत Standard Operating Procedure तैयार कर शासन द्वारा अनुमोदन कराया जाए। साथ ही पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) के सदस्यों तथा संबंधित कंसल्टिंग इंजीनियर को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। पंचायत स्तर पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव के संबंध में वास्तविक स्थिति ज्ञात करने हेतु निदेशालय में एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) के माध्यम से योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन की आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाए। पंचायती राज विभाग द्वारा निरन्तर निगरानी, रिपोर्टिंग एवं यूजर चार्ज के संग्रह की गतिविधियों हेतु उक्त पोर्टल की सहायता से ग्राम पंचायतों/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी।
4. व्यस्थित रूप से जल शुल्क एकत्रित करने हेतु नियमित रूप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है। अतः पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव से संबंधित विभिन्न शिकायतें जैसे लीकेज, पेयजल हाउस कनेक्शन उपलब्ध न कराया जाना, पेयजल आपूर्ति निर्धारित समय पर न होना, पानी का प्रेशर निर्धारित लक्ष्य से कम आना, दूषित जल की आपूर्ति, रखरखाव हेतु घयनित एजेन्सी द्वारा कार्य करते समय किसी उपभोक्ता की निजी सम्पत्तियों को क्षतिग्रस्त करना इत्यादि शिकायतों को दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। उक्त के क्रम में प्रारम्भिक स्तर पर निदेशालय में ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ के अंतर्गत एक कॉल सेन्टर टीम का गठन कर एक SOP (Standard Operating Procedure) के आधार पर शिकायतों को दर्ज करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया बनाई जाए। साथ ही एक टोल फ्री नम्बर पंचायत स्तर पर प्रत्येक गांव के मुख्य स्थान तथा विद्यालय, पंचायत सचिवालय, आंगनवाड़ी एवं मुख्य चौराहे पर दीवार लेखन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम जनता द्वारा सही समय पर शिकायत दर्ज की जा सके। उक्त शिकायतों को दर्ज करने के उपरान्त

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ

दिनांक

जुलाई, 2025

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के पत्र संख्या-27/2025/1316/छिहत्तर-1-2025/1739613 दिनांक 21.05.2025 (प्रति संलग्न) एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के पत्र संख्या-814/पीएसएमएस/2024 दिनांक 06.09.2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है तथा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है तथा कतिपय योजनाएं निर्माणाधीन एवं अपने अंतिम चरण में हैं। पूर्व निर्मित तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 प्रख्यापित कर निर्गत की गयी है। जिसमें पंचायती राज विभाग की भूमिका एवं दायित्व निम्नानुसार है:-

1. ग्रामीण पेयजल यूजर चार्ज के निर्धारण हेतु निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के साथ परामर्श कर उक्त आशय का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा।
2. यूजर चार्ज की धनराशि भविष्य में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन कार्य पर व्यय होना संभावित है। अतः पंचायत के OSR खाते में हर पंचायत से प्राप्त यूजर चार्ज की धनराशि जमा की जाए परन्तु यूजर चार्ज के लिए पृथक से Ledger का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। जिसका वार्षिक रूप से मिलान भी किया जाए।
3. पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को समय-समय पर तकनीकी सहायता, दिशा-निर्देश और सहयोग प्रदान करने हेतु निदेशालय स्तर पर एक विस्तृत Standard Operating Procedure तैयार कर शासन द्वारा अनुमोदन कराया जाए। साथ ही पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) के सदस्यों तथा संबंधित कंसल्टिंग इंजीनियर को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। पंचायत स्तर पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव के संबंध में वास्तविक स्थिति ज्ञात करने हेतु निदेशालय में एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) के माध्यम से योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन की आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाए। पंचायती राज विभाग द्वारा निरन्तर निगरानी, रिपोर्टिंग एवं यूजर चार्ज के संग्रह की गतिविधियों हेतु उक्त पोर्टल की सहायता से ग्राम पंचायतों/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी।
4. व्यर्थित रूप से जल शुल्क एकत्रित करने हेतु नियमित रूप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है। अतः पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव से संबंधित विभिन्न शिकायतें जैसे लीकेज, पेयजल हाउस कनेक्शन उपलब्ध न कराया जाना, पेयजल आपूर्ति निर्धारित समय पर न होना, पानी का प्रेशर निर्धारित लक्ष्य से कम आना, दूषित जल की आपूर्ति, रखरखाव हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा कार्य करते समय किसी उपभोक्ता की निजी सम्पत्तियों को क्षतिग्रस्त करना इत्यादि शिकायतों को दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। उक्त के क्रम में प्रारम्भिक स्तर पर निदेशालय में ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ के अंतर्गत एक कॉल सेन्टर टीम का गठन कर एक SOP (Standard Operating Procedure) के आधार पर शिकायतों को दर्ज करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया बनाई जाए। साथ ही एक टोल फ्री नम्बर पंचायत स्तर पर प्रत्येक गांव के मुख्य स्थान तथा विद्यालय, पंचायत सचिवालय, आंगनवाड़ी एवं मुख्य चौराहे पर दीवार लेखन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम जनता द्वारा सही समय पर शिकायत दर्ज की जा सके। उक्त शिकायतों को दर्ज करने के उपरान्त

उ० प्र० जल निगम के पोर्टल में API Integration के माध्यम से शिकायतों को ऑनलाइन प्रेषित किया जाए। उपरोक्त प्रक्रिया जिस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करायी जाएगी उसका लॉगइन की भागीदारी ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) को भी दी जाएगी जिस पर निर्धारित समय में शिकायत का निस्तारण न होने की दशा में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

5. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल आपूर्ति योजनाओं की पेयजल गुणवत्ता की जाँच प्रत्येक छः माह में करायी जाएगी। पंचायत स्तर पर कार्यरत संस्थाओं द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के किसी सदस्य की उपस्थिति में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु सैम्पल संग्रहित किया जाएगा। उक्त से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश SOP में सम्मिलित किया जाए।
6. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) गाँवों का जल बजट तैयार करने में शामिल होगी एवं जल बजट की तैयारी के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी। जल बजट सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग निदेशालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।
7. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा भूमि संबंधी मुद्दे, क्षति, अनधिकृत टैपिंग, अवैध कनेक्शन, उपयोगकर्ता शुल्क वसूली आदि जैसे विवादों को सुलझाने में सभी हितधारकों को सहायता प्रदान की जायेगी।
8. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल परिसंपत्तियों का विवरण ग्राम पंचायत/ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज कराया जायेगा एवं उक्त विवरण का विस्तृत आलेख SOP में सम्मिलित किया जाए तथा पेयजल परिसंपत्तियों का विवरण rwsp.upprd.in पोर्टल पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा गाँवों में सभी हितधारकों के साथ प्रतिमाह पाक्षिक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें पेयजल की गुणवत्ता, सेवा वितरण प्रदर्शन, रिसाव, संक्रमण के मुद्दों, पुर्नस्थापन और पेयजल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सम्मिलित किया जाएगा। बैठक का विवरण/कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही के लिए निदेशालय स्तर पर एक प्रस्तावित ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा जिससे कार्यवृत्त में उल्लिखित शिकायतों को व्यवस्थित रूप से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निराकरण करवाया जा सके।
10. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल प्रबंधन गतिविधियों में सभी हितधारकों की जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट सुनिश्चित किया जायेगा, जिस हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा जिला स्तर एवं राज्य स्तर से पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।
11. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा पेयजल के विवेकपूर्ण उपयोग, जल संचयन के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा और पेयजल के दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित की जायेगी। निदेशालय द्वारा प्रस्तावित एस०ओपी में पेयजल के विवेकपूर्ण उपयोग, जल संचयन कार्य की विभिन्न प्रक्रियाएं तथा अन्य सम्बन्धित कार्य के संबंध में जन जागरूकता फैलाने हेतु पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
12. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा ग्रे-वॉटर प्रबंधन गतिविधियों को लागू करने हेतु विस्तृत पद्यति बनाकर पंचायत स्तर पर कार्य कराया जाए और पूर्व में हुए कार्यों का भी एकत्रीकरण किया जाए एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इसके कारण पेयजल स्रोत प्रदूषित न हो। जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के समन्वय से भूजल संचयन एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाई जाएगी और उसे क्रियान्वित किया जाएगा।
13. ग्रामीण पेयजल यूजर चार्ज पंचायत द्वारा वसूलने की व्यवस्था है। राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि पंचायत की धनराशि उन्हीं परियोजनाओं के रखरखाव पर खर्च की जा सकती है, जो परियोजनाएं पंचायतों को हैण्ड ओवर की गयी है। उपरोक्त निर्देशों के दृष्टिगत पंचायती राज विभाग द्वारा एक पोर्टल www-rwsp-upprd-in पेयजल परियोजनाओं के हैण्डिंग ओवर एवं टेकिंग ओवर के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर दिनांक 06.09.2024 तक 152 परियोजनाओं को हैण्डिंग ओवर-टेकिंग ओवर पूर्ण किया गया है। पंचायतों द्वारा उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं को हैण्ड ओवर टेक ओवर करने से पहले सभी घरों को नल का कनेक्शन दिया गया है, इसकी पुष्टि भी की जाती है साथ ही एज बिल्ट ड्राइंग डिजाइन, फोटोग्राफ इत्यादि भी पोर्टल पर अपलोड कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य टेस्टिंग रिपोर्ट उदाहरणतः हाईड्रो टेस्टिंग रिपोर्ट आदि पोर्टल पर अपलोड करायी जाती है। पंचायती राज विभाग की धनराशि विद्यमान नियमों के अन्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं के रखरखाव पर व्यय की जा सकती है, जो परियोजनाएं पंचायतों को हैण्ड ओवर की जाएंगी। उन्हीं परियोजनाओं को पंचायतों को हैण्ड ओवर माना जाएगा, जो इस पोर्टल के माध्यम से हैण्ड ओवर की जायेंगी।